सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 22.10.2025

#नकली भारतीय मुद्रा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

- **अन्तर्रजनपदीय नकली मुद्रा गिरोह का पर्दाफाश करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से ₹30,200/- की नकली भारतीय मुद्रा, 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस, 01 छुरा, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार व 05 एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद।**
- **अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।**

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

त्यौहारों के दृष्टिगत, जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं जालसाजी/धोखाधडी की घटनाओं के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21.10.2025 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस द्वारा खडकोली पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कुछ लोग तुलसीपुर मोड पर कार मे बैठे है जिनके पास नकली नोट हैं, जिनके द्वारा कुम्हावर बाजार में नकली नोट चलाने का प्रयास किया गया था। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सैफई पुलिस टीम जैसे ही मौके पर पहुँची तो कार में बैठे व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये **05 व्यक्तियो को 01 कार सहित तुलसीपुर मोड के पास से पकड लिया ।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से नाम/पता पूछते हुये बरामद नकली भारतीय मुद्रा के बारे में तथा स्विफ्ट कार के कागज़ात माँगे गये तो दिखाने में असमर्थ रहे । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तो ने बताया कि हम पांचों लोग मिलकर योगेश उर्फ करूआ पुत्र नंदराम निवासी सिघावली थाना बाह आगरा से नकली मुद्रा लेकर आते है, नकली मुद्रा को असली मुद्रा के रूप में बाजारों में चलाते हैं, तथा जो लाभ मिलता उसको आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं ।

तथा बताया कि गिरोह के सदस्यों ने सैफई क्षेत्रान्तर्गत कुम्हावर बाजार मे भीड भाड को देखते हुये दुकानदारो को झाँसा देकर भारतीय नकली ₹500 – ₹200 के नोटों से सामान खरीदा था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा मुख्य सप्लायर एवं गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई है तथा बरामद जाली मुद्रा को परीक्षण हेतु **FSL** भेजा जा रहा है।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना सैफई पर मु0अ0सं0 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस व धारा 3/ 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

घटना मे प्रयुक्त 01 कार को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है ।

नोट- **गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में भी नकली मुद्रा, धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या, अवैध असलहा, आबकारी व गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न गंभीर अपराधों में विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। गिरोह का मुख्य सप्लायर योगेश उर्फ करूआ के विरुद्ध भी नकली मुद्रा एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं। "**

01. **अभियुक्त सोनू उर्फ सुखवीर उर्फ सोहनवीर एंव धर्मेन्द्र व साथियों** से एसटीएफ द्वारा भारतीय करेन्सी के **20 लाख रूपये** के **नकली नोट** की बरामदगी की गयी जिसके सम्बन्ध में **थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर** में अभियोग पंजीकृत है ।
02. **अभियुक्त सोनू उर्फ सुखवीर उर्फ सोहनवीर** एवं उसके साथियों से से भारतीय करेन्सी के **1 लाख 31 हजार पांच सौ रूपये** के **नकली नोट** तथा **नकली नोट बाजार मे खपत करके प्राप्त** **32 हजार रुपये** की बरामदगी की गयी जिस सम्बन्ध में **थाना गुन्नौर जनपद सम्भल** में अभियोग पंजीकृत है।
03. **अभियुक्त सोनू उर्फ सुखवीर उर्फ सोहनवीर** एवं साथियों से भारतीय करेन्सी के **01 लाख 17 हजार रूपये** के **नकली नोट** की बरामदगी की गयी जिस सम्बन्ध में **थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद** में अभियोग पंजीकृत है।
04. **अभियुक्त सोनू उर्फ सुखवीर उर्फ सोहनवीर एवं साथियो** से भारतीय करेन्सी के **01 लाख 34 हजार रूपये** के **नकली नोट** की बरामदगी की गयी जिस सम्बन्ध में **थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद** में मुकदमा पंजीकृत है

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सोनू उर्फ सुखबीर उर्फ सोहनवीर पुत्र स्व0 रमेश चन्द निवासी जगजीवन नगर ग्राम सैलई थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद **उम्र 38 वर्ष।**
2. धर्मेन्द्र जाटव पुत्र खरगजीत निवासी जगजीवन नगर ग्राम सैलई थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद **उम्र 35 वर्ष।**
3. ओमवीर सिंह पुत्र स्व रमेश चन्द्र निवासी जगजीवन नगर ग्राम सैलई थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद **उम्र 35 वर्ष।**
4. अजय यादव पुत्र प्रमोद यादव निवासी ग्राम नंगला नवल भूतो का नंगला शाहजहांपुर थाना जसवन्तनगर इटावा **उम्र 34 वर्ष।**
5. राजू यादव पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम नंगला वैश थाना सैफई इटावा **उम्र 33 वर्ष।**

आपराधिक इतिहासः-

1. सोनू उर्फ सुखबीर उर्फ सोहनवीर पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र

1. मु0अ0सं0 592/12 धारा 489बी/489सी भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0 369/15 धारा 120/489-बी/489-सी भादवि थाना रामगढ फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 150/16 धारा 323/452 भादवि थाना रामगढ फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0 774/17 धारा 489-बी भादवि थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद
5. मु0अ0सं0 800/18 धारा 489-बी /489-सी भादवि थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद

6. मु0अ0सं0 80/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्स थाना बलरई
7. मु0अ0सं0 428/23 धारा 420/467/468/471/489ए/489-बी/489-सी/489डी भादवि थाना गुन्नौर सम्भल
8. मु0अ0सं0 58/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
9. मु0अ0सं 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस , 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट सैफई जनपद इटावा

2. धर्मेन्द्र जाटव पुत्र खरगजीत

1. मु0अ0सं0 592/12 धारा 489बी/489सी भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0 259/17 धारा 489 बी थाना चौबिया इटावा
3. मु0अ0सं 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस , 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवीएक्ट सैफई जनपद इटावा

3. ओमवीर पुत्र रमेश चन्द्र

1. मु0अ0सं0 497/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामगढ फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 459/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामगढ फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस , 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट सैफई जनपद इटावा

4.अजय यादव उर्फ एस0पी0 पुत्र प्रमोद यादव उर्फ श्याम सिंह (थाना जसवन्तनगर HS - 27B)

1. मु0अ0सं0 237/2015 धारा 120बी/201/302/364 भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 98/2016 धारा 60 अबकारी एक्ट थाना वैदपुरा इटावा
3. मु0अ0सं0 150/2021 धारा 60 अबकारी एक्ट थाना जसवंत नगर इटावा
4. मु0अ0सं0 0086/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना जसवन्त नगर इटावा
5. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवन्त नगर इटावा
6. मु0अ0सं 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस , 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट सैफई जनपद इटावा

5. राजू पुत्र जगत सिंह

1. मु0अ0सं0 145/2014 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/420 भादवि
2. मु0अ0सं0 237/2015 धारा 120बी/201/302/364 भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं 254/2025 धारा 178/179/180 बीएनएस , 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवीएक्ट सैफई जनपद इटावा

6.योगेश उर्फ करूआ पुत्र नंदराम(प्रकाश में)

1. मु0अ0सं0 428/23 धारा 420/467/468/471/489ए/489बी/489सी/489डी भादवि थाना गुन्नौर सम्भल
2. मु0अ0सं0 58/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

बरामदगीः-

1. **कुल जाली भारतीय मुद्रा 30,200-/ रुपये**
2. ₹500 के 56 नोट = 28,000-/ रुपये
3. ₹200 के 11 नोट = 2,200-/ रुपये
4. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
5. 2 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर
6. 01 अवैध छुरा
7. 01 स्विफ्ट कार **UP80 CV0738** **(घटना/परिवहन में प्रयुक्त)।**
8. 05 एन्ड्रॉएड मोबाइल फोन।

पुलिस टीम- प्र0निरी0 श्री भूपेन्द्र सिंह राठी थाना सैफई, उ0नि0 श्री राज कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अंकित पटेल, का0 आदित्य तोमर,का0 सुमित कुमार, का0 सुशील कुमार, का0 गौरव कुमार, का0 संदीप चौधरी।

नोटः- ***घटना का अनावरण एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा ₹10,000/- के नकद पुरुस्कार से पुरस्कृत किया गया है।***